



कार्यालय संचालक, राज्य बांस मिशन

खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)

(Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523)

// आदेश //

आदेश क्रमांक/बांसमिशन/ 2020/37

भोपाल, दिनांक : 1/10/2020

—00—

पत्र क्रमांक 895 दिनांक 16.09.2020 द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के माननीय सदस्यों को भेजा गया गश्ति प्रस्ताव बहुमत से पारित होने के बाद राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह की द्वितीय बैठक दिनांक 08.07.2019 में उप मद वार निर्धारित व्यय सीमा निष्प्रभावी हो गई है।


गश्ति प्रस्ताव द्वारा पारित संकल्प निम्नानुसार है -

"राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह प्रस्तुत गश्ति प्रस्ताव के अनुसार व्यय के 2 उपमद (भवन निर्माण एवं मशीन क्रय) मान्य करता है। कम व्यय में भवन निर्माण किए जाने पर शेष राशि या भवन निर्माण की आवश्यकता न होने पर पूरी राशि मशीनों के क्रय पर व्यय करने की अनुमति प्रदान करता है। भवन निर्माण पर व्यय की अधिकतम सीमा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40 प्रतिशत होगी।

एजेण्डा प्रस्ताव के अनुसार राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह इरेक्शन व ट्रायल के उपमद को मशीन क्रय के उपमद में ही शामिल करने की भी अनुमति प्रदान करता है।

राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित करता है कि आवेदन प्राप्त होने की क्रमबद्धता जो पहले आवेदन दिया है उस पर विचार पहले किया जायेगा परंतु उपरोक्त प्राथमिकताओं में जिसके पास योग्यता अधिक होगी उसे पहले चुना जायेगा जैसे हितग्राही ने संबंधित कार्य का प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थान से प्राप्त किया है।"

इस आदेश के जारी होने के बाद प्राप्त होने वाली प्रोजेक्ट्स का परीक्षण गश्ति प्रस्ताव दिनांक 16.09.2020 द्वारा पारित उपरोक्त संकल्प के अनुसार किया जावेगा।


(डॉ. अमय कुमार पाटील)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन